अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 36 आर० 15 / 2023–24

सरीता कुमारी उर्फ सरीता कुमारी गुप्ता पिता श्री नारायण प्रसाद, निवासी ग्राम एवं पो० – पंडाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–रॉची

.... पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम्

राज्य

आदेश

प्रस्तुत वाद पुनरीक्षणकर्त्ता ने विद्वान उपसमहर्त्ता भूमि सुधार, बुण्डू, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 07 / 2022–23 मे दिनांक 22.11.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार ने पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा दाखिल उपरोक्त अपील को अस्वीकृत कर दिया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा बुण्डू, थाना सं० 28, जिला रॉची के खाता सं० 1 प्लॉट सं० 107 रकबा 1.07 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे जानकी नाथ राय के नाम से "जिरात मालिक" दर्ज है। उपरोक्त भूमि मधे रकबा 65 डी० को प्रबीर कबी पिता गौरंग कबी ने जगरनाथ राय वैगरह से निबंधित विक्रय विलेख दिनांक 31.12.1981 के द्वारा प्राप्त किया। तत्पश्चात् उक्त प्रबीर कबी पिता गौरंग कबी ने उपरोक्त मौजा बुण्डू, थाना सं० 28, जिला रॉची के खाता सं० 1 प्लॉट सं० 107 रकबा 1.07 एकड़ मधे रकबा 65 डी० भूमि को निबंधित विक्रय विलेख सं० 5600 दिनांक 16.05.1990 के द्वारा दिलीप कुमार चक्रवर्ती पिता फुलचन्द चक्रवर्ती को

[illegible]/20/02/2025

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पंजी II के भाग सं० 18, पृ० सं० 49 मे दाखिल खारिज वाद सं० 91/1990—91 मे दिनांक 04.10.1990 को पारित आदेश के आलोक मे दिलीप कुमार चक्रवर्ती के नाम से कायम हुआ।

उपरोक्त दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने निबंधित विक्रय विलेख सं० 4396/3940 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा मौजा बुण्डू, थाना सं० 28, जिला रॉची के खाता सं० 1 प्लॉट सं० 107 रकबा 5 डी० भूमि को पुनरीक्षणकर्त्ता सरीता कुमारी उर्फ सरिता कुमारी गुप्ता, पति श्री मनोज कुमार गुप्ता, पिता श्री नारायण प्रसाद के पक्ष मे हस्तांतरित कर दिया।

पुनरीक्षणकर्त्ता ने उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् विद्वान अंचल अधिकारी बुण्डू के समक्ष मौजा बुण्डू, थाना सं० 28, जिला रॉची के खाता सं० 1 प्लॉट सं० 107 रकबा 5 डी० भूमि के नामान्तरण हेतु नामान्तरण मुकदमा सं० 354/2021—22 दायर किया, जिसे विद्वान अंचल अंधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया।

अंचल अधिकारी के द्वारा उपरोक्त नामान्तरण मुकदमा सं० 354/2021—22 पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची के समक्ष दाखिल खारिज अपील वाद सं० 07/2022—22 दायर किया, जिसे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता का नाम अपील आवेदन एवं निबंधित केवाला सं० 3940 दोनो मे भिन्न—भिन्न दर्ज होने के कारण अस्वीकृत कर दिया।

पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता का नाम अपील आवेदन एवं

1/8/(20/04/2023)

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

निबंधित केवाला सं० 3940 दोनो मे भिन्न–भिन्न दर्ज होने के कारण दाखिल खारिज अपील वाद सं० 07/2022–22 को अस्वीकृत कर दिया है। नामान्तरण वाद सं० 354/2021–22 दिनांक 24.12.2021 को पारित आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अंचल अधिकारी, बुण्डू ने आवेदित भूमि के विक्रेता/जमाबंदी रैयत को भूमि प्राप्त करने से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया है। प्रस्तुत वाद मे पुनरीक्षणकर्त्ता ने प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज की छायाप्रति दाखिल किया है, जिसके अनुसार मौजा बुण्डू, थाना सं० 28, जिला रॉची के खाता सं० 1 प्लॉट सं० 107 रकबा 1.07 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे जानकी नाथ राय के नाम से "जिरात मालिक" दर्ज है। उपरोक्त भूमि मधे रकबा 65 डी० को प्रबीर कबी पिता गौरंग कबी ने जगरनाथ राय वैगरह से निबंधित विक्रय विलेख दिनांक 31.12.1981 के द्वारा प्राप्त किया। तत्पश्चात् उक्त प्रबीर कबी पिता गौरंग कबी ने उक्त भूमि को निबंधित विक्रय विलेख सं० 5600 दिनांक 16.05.1990 के द्वारा दिलीप कुमार चक्रवर्ती पिता फुलचन्द चक्रवर्ती को हस्तांतरित कर दिया एवं अंततः उपरोक्त दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने निबंधित विक्रय विलेख सं० 4396/3940 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा मौजा बुण्डू, थाना सं० 28, जिला रॉची के खाता सं० 1 प्लॉट सं० 107 रकबा 5 डी० भूमि को पुनरीक्षणकर्त्ता सरिता कुमार उर्फ सरिता कुमारी गुप्ता, पति श्री मनोज कुमार गुप्ता, पिता श्री नारायण प्रसाद के पक्ष मे हस्तांतरित कर दिया। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता का शान्तिपूर्वक दखल है तथा विक्रेता स्वयं पंजी II

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

रैयत है।

उपरोक्त परिस्थिति मे पुनरीक्षणकर्त्ता के पक्ष मे नामान्तरण अस्वीकृत करने का कोई ठोस कारण नही बनता है। अतः यह पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है। विद्वान उपसमहर्त्ता भूमि सुधार, बुण्डू, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 07/2022—23 मे दिनांक 22.11.2023 एवं अंचल अधिकारी बुण्डू के द्वारा नामान्तरण वाद सं० 354/2021—22 दिनांक 24.12.2021 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अंचल अधिकारी बुण्डू को निदेश दिया जाता है कि वे पुनरीक्षणकर्त्ता के पक्ष मे आवेदित भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करे।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची एवं अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची।

Digitally signed by Manjunath h Bhajantri
Date: 2025.06.05 04:36:49 -07:00
Location: 192.168.1.3